महत्वपूर्ण एवं खास

नाबालिग से सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। रिश्तो को तार-तार कर शारीरिक शोषण करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रिश्तों की मर्यादा लांघने से आपराधिक तत्व बाज नहीं आ रहे हैं इसी कड़ी में टिकरापारा की नाबालिग बच्ची के साथ उसके सौतेले पिता ने जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक शोषण किया। उक्त मामले में आरोपी सौतेले पिता रफीक खान के खिलाफ टिकरापारा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग का यौन शोषण करने के अपराधी के खिलाफ पास्को एक्ट की धारा 4 एवं आईपीसी की धारा 376 एवं 506 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

अनुसूचित जाति, जनजाति के युवाओं का निःशुल्क उद्यमिता प्रशिक्षण 22 से होगा शुरू

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने निःशुल्क उद्यमिता प्रशिक्षण 22 जनवरी से शुरू होगा। इस प्रशिक्षण में 18 से 45 वर्ष के आठवीं पास युवा शामिल हो सकेंगे। इक्कीस दिन के इस निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण के लिए हितग्राहियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। प्रशिक्षण में हितग्राहियों को सफल उद्यमी कैसे बनें, परियोजना परिचय, बाजार सर्वेक्षण, खाता बही, सफल विक्रेता के गुण अभिप्रेरणा, कोरबा जिले में संभावित उद्योग व्यवसाय की जानकारी, क्षमता विकास, मशीनरी, कच्चा माल उपलब्धता की जानकारी, उद्योग स्थापना के विभिन्न चरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रसायन उद्योग, फर्नीचर उद्योग, आटोमोबाईल उद्योग, बैंक ऋण, तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं आदि के बारे में उद्यमिता विकास केंद्र के कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा जानकारी दी जायेगी। आवेदन पत्र के लिए श्री तारन खुंटे जिला समन्वयक मोबाईल नंबर 9406344179 से सीधे संपर्क कर एवं कार्यालयीन समय में छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केंद्र डा.राजेंद्र प्रसाद नगर फेस-2 दुर्गा पंडाल के पास निहारिका कोरबा में संपर्क किया जा सकता है।

मोबाइल पर हुए मैसेज को लेकर विवाद, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। मोबाइल जहां लोगों के लिए सुविधा के रूप में जाना जाता है वहीं मोबाइल का दुरुपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए भी आये दिन किया जाता है। गांधी मैदान पार्किंग में अतुल सिंह निवासी अंजलि टाउन अमलीडीह न्यू राजेंद्र नगर के साथ पार्किंग स्थल में रिंकू एवं उसके साथियों द्वारा अतुल एवं महाजीत के साथ मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज को लेकर जमकर विवाद हुआ जिसके चलते आरोपी रिंकू एवं उसके साथियों ने अतुल एवं महाजीत के साथ गाली गलौज कर जमकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त मामले में कोतवाली थाने ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506 बी 323 एवं 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सबसे ज्यादा हवाई यात्रा कराने वाले शीर्ष पांच विमानतलों में रायपुर दूसरे नंबर पर

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल देश के उन गिने-चुने विमानतलों में शामिल हो गया है जहां एक माह में हवाई यात्रियों की संख्या 2 लाख से अधिक हुई है। इसके अलावा वर्ष 2019 में यहां यात्रियों की संख्या 21 लाख से अधिक हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी सूत्रों ने बताया कि रायपुर विमानतल में 3 साल के अंदर हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है। सबसे ज्यादा हवाई यात्रा करने वाले टॉप पांच एयरपोर्अ में रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल को दूसरा स्थान मिला है, वहीं अगरतला विमानतल को तीसरा और जम्मू विमानतल को चौथा स्थान मिला है।

महापौर को निगम प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने पदभार संभालने पर शुभकामनाएं दी

रायपुर (आरएनएस)। नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर को निगम प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष संजय एड़े, सचिव खेमू निषाद, पदाधिकारी पवन चवरगुवाल, शैलेन्द्र दुबे, रीता राव, शबाना बेगम सहित अन्य पदाधिकारियों ने बुके देकर निगम मुख्यालय में महापौर के रूप में पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी । महापौर ढेबर ने निगम प्लेसमेंट कर्मचारियों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी एवं मन लगाकर कर्तव्य निर्वहन करने का सुझाव दिया।

कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए मधुर गुड़ योजना शुरू

» मंत्री अमरजीत भगत, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा ने किया जगदलपुर में मधुर गुड़ योजना का शुभारंभ

» बस्तर संभाग के साढ़े छह लाख से अधिक गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ

» गुड़ वितरण पर प्रति वर्ष होगा 50 करोड़ खर्च

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रदेश में शुरू किए गए कुपोषण अभियान में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 'मधुर गुड़ योजना' शुरू की गई है। कुपोषण और एनीमिया मुक्ति में यह योजना काफी कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में तीन जुलाई 2019 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बस्तर संभाग के सातों जिलों में कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए 'मधुर गुड़ योजना' शुरू करने का निर्णय लिया गया था। जगदलपुर के मिशन कम्पाउंड ग्राउण्ड में आयोजित समारोह में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने 'मधुर गुड़ योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना से बस्तर संभाग के 6 लाख 59 हजार से अधिक गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। गुड़ वितरण योजना पर प्रति वर्ष 50 करोड़ रूपए खर्च किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 17 रुपए प्रतिकिलो की दर से 2 किलो गुड़ प्रतिमाह दिया जाएगा। खाद्य मंत्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बस्तर क्षेत्र में गुड़ वितरण योजना कुपोषण मुक्ति के लिए शुरू की गई है। खाद्य मंत्री ने इस अवसर पर मधुर गुड़ तथा मलेरिया मुक्त बस्तर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और कहा कि खून की कमी और कुपोषण रोकने के लिए मलेरिया की रोकथाम बहुत जरूरी है। कुपोषण मुक्त और मलेरिया का रोकथाम अभियान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण कदम है। भगत ने इस अवसर पर हितग्राहियों को मधुर गुड़ और एपीएल उपभोक्ताओं को राशन कार्ड भी वितरित किया। भगत ने समारोह में नवनिर्वाचित महापौर, सभापति सहित सभी पार्षदों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस अवसर पर कहा कि महिलाएं और बच्चों में कुपोषण दूर होने से परिवार और समाज मजबूत होगा और इससे मजबूत छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि सुपोषित और स्वस्थ छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने के लिए कुपोषित बच्चों के साथ ही किशोरी और गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन और पोषण आहार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से गांव-गांव में पहुंचकर लोगों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि गरीब परिवारों को न्यूनतम दर पर चावल और गुड़ देने वाला पहला राज्य है। इसके साथ ही कुपोषण दूर करने के लिए स्कूल और आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडा देने का कार्य भी इस सरकार द्वारा किया जा रहा है।

अवैध शराब बिक्री : भड़के डीजीपी ने आईजी से कहा 24 घंटे में करें कार्यवाही

रायपुर (आरएनएस)। तिल्दा में अवैध शराब बिक्री की खबर एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद राज्य के पुलिस प्रमुख ने इसे गंभीरता से लिया है। डीजीपी ने तत्काल रायपुर रेंज के आईजी को पत्र लिखकर मामले की स्वयं जांच करने तथा दोषियों के खिलाफ 24 घंटे में कार्यवाही करने का आदेश जारी कर दिया है।

ज्ञात हो कि एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में तिल्दा में खप रही हरियाणा और मध्यप्रदेश की शराब, कार्यवाही नहीं, नामक शीर्षक से समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था। अखबार में प्रकाशित इस खबर को राज्य पुलिस प्रमुख ने काफी गंभीरता से लिया है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने रेंज के आईजी डा. आनंद छाबड़ा के नाम आदेश जारी कर आईजी श्री छाबड़ा को स्वयं मामले की जांच करने तथा 24 घंटे में जांच कर संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा आईजे को पूरे रेंज में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रखने एवं कहीं भी इस प्रकार से अवैध शराब विक्रय न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है।

ट्रक ड्राईवर-क्लीनर की हत्या करने वाले दो आरोपी भोपाल में गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में 36 लोगों की हत्या कर फरारी काट रहे दो आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर भोपाल में पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपियों पर बेमेतरा में दो लोगों की हत्या का भी आरोप है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी हाईवे और अन्य मार्गो में सड़क किनारे ट्रक खड़ी कर आराम करने वाले वाहन चालक और परिचालक की हत्या कर देते थे और भाग निकलते थे। इन आरोपियों पर लूट आदि का भी मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इनसे होने वाली पूछताछ के बाद कुछ और बड़े मामलों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

दहेज प्रताड़ना के चलते पत्नी ने पिया जहर, हुई मौत

» मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। दहेज की मांग को लेकर आये दिन महिलाओं को ससुराल में अपने पति एवं ससुराल के रिश्तेदारों के हाथ प्रताड़ित होना पड़ता है। प्रताड़ना की शुरूआत मारपीट से लेकर मानसिक रूप से यातना के रूप में दी जाती है जिसके चलते कई बार महिलाएं गलत कदम उठाने पर मजबूर होती है। इसी कड़ी में आरंग निवासी प्रदीप शेखर देवांगन आयु 23 वर्ष का विवाह सोनम देवांगन के साथ हुआ था। विवाह होने के बाद से ही प्रदीप शेखर द्वारा अपनी पत्नी सोनम को दहेज की मांग को लेकर आये दिन मारपीट एवं शारीरिक यातना दी जाती थी जिसके चलते सोनम देवांगन ने प्रताड़ना से परेशान होकर घर में जहर सेवन किया। जिसके चलते उसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उक्त मामले की जानकारी देते हुए आरंग थाने से मालूमात हुई कि प्रदीप शेखर देवांगन पिता चंद्रिका देवांगन, आनंद देवांगन एवं सरस्वती देवांगन द्वारा दी गई प्रताड़ना के कारण ही सोनम की मृत्यु हुई है। उक्त मामले में आरंग थाने में मिली शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 304 बी एवं 34 एक्ट के तहत मामला कायम कर जांच शुरू कर दी गई है।

गणतंत्र दिवस की तैयारियां स्कूल कालेजों में जोरशोर से जारी

रायपुर (आरएनएस)। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की 71वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 जनवरी को स्कूल कॉलेजों में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला, रंगोली प्रतियोगिता सहित अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु स्कूल कालेजों में नृत्य गायन वादन आदि का अभ्यास जारी है। देशभक्ति पूर्ण गीतों के लिए नियमित अभ्यास प्रारंभ हो गया है।

सीएए के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन 17 को

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में 17 जनवरी शुक्रवार को दोपहर ढाई बजे बूढ़ातालाब रायपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी ने बताया कि सीएए का कानून नागरिकता देने के लिए बना है न कि लेने के लिए डॉ. त्रिवेदी ने अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों से उक्त रैली में शामिल होने की अपील की है।

लापता रीना की हत्या कर प्रेमी ने फेंकी थी बिरकोना खार में लाश

» सिविल लाईन पुलिस ने आरोपी प्रेमी को लिया हिरासत में

» पूर्व कांग्रेस नेता शंकर माली की बेटी की कोनी में मिली लाश 5 जनवरी को निकली थी घर सेए तब से थी लापता

बिलासपुर (आरएनएस)। पूर्व कांग्रेस नेता शंकर माली की 5 जनवरी से लापता बेटी की लाश 12 दिनों के बाद कोनी सीमा क्षेत्र के बिरकोना खार में गुरुवार की सुबह मिली। मामला प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का बताया जा रहा है। पुलिस संदेह के आधार पर प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ऐसा शक है कि प्रेम प्रसंग के कारण ही मोहल्ले में रहने वाले युवक ने हत्या करने के बाद लाश खार में फेंक दी थी। बहरहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल लाइन पुलिस के अनुसार मिलन चौक निवासी रीना उर्फ सीमा माली पिता स्व. शंकर माली 37 वर्ष दो बच्चों के साथ रहती थी। बीते 5 जनवरी को शाम के समय वह चिकन लेने घर से निकली थी और घर वापस नहीं आई। उसने नगर निगम के एक कर्मचारी को 5 जनवरी को देर रात मोबाइल पर कॉल कर सहेली के जन्मदिन पार्टी में जानकारी देते हुए बताया कि वह रेलवे स्टेशन के करीब बुधवारी बाजार के पास है और आसपास अंधेरा है। उसने परिजनों को सुबह घर पहुंचने की जानकारी दी।

इधर परिजन लगातार सीमा के मोबाइल पर कॉल करते रहे, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल कॉल लोकेशन से पता किया तो ज्ञात हुआ कि रीना उर्फ सीमा की मोहल्ले में रहने वाले प्रभात यादव से लगातार मोबाइल पर बातें होती थी। 5 जनवरी को भी सीमा और प्रभात के बीच बातचीत हुई थी। पुलिस ने प्रभात को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने सीमा से प्रेम प्रसंग होने की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों के बीच विवाद हुआ और उसने सीमा की हत्या कर बिरकोना खार में लाश फेंक दी थी। पुलिस ने आज बिरकोना खार से सीमा की सड़ी गली लाश बरामद की है।

मार्च में होगी दसवीं-बारहवीं की बोर्ड परीक्षा

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परिक्षाओं की समय-सारणी जारी करने के साथ ही परीक्षा का पैर्टन भी तय कर लिया है। इस बार परीक्षार्थियों को आंसरशीट में केवल प्रश्नपत्र का सेट नंबर दर्ज कर हस्ताक्षर करना होगा। बोर्ड से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 02 मार्च से प्रारंभ होने वाले बोर्ड परीक्षाओं का पैर्टन इस बार फिर से अलग होगा। पूर्व में उत्तरपुस्तिकाओं में बार कोर्ड चस्पा रहता था। इस बार बार कोड नहीं होगा, इसके स्थान पर परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र का सेट नंबर आसंरशीट में दर्ज कर अपना हस्ताक्षर करना होगा। ज्ञात हो कि बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का समय सारणी तय कर दिया है। बोर्ड से जारी टाइम टेबल के अनुसार इस बार 12वीं की परीक्षा 02 मार्च से और दसवीं की परीक्षा 03 मार्च से प्रारंभ होगी। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक चलेगी।

58 बकायेदार उपभोक्ताओं से 8 लाख 23 हजार रु. की वसूली

» बिजली बिल नहीं पटाने वाले 34 उपभोक्ताओं की लाइन कटी

दुर्ग (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूषन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग,16 जनवरी (आरएनएस)। क्षेत्र द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए चलाये जा रहे अभियान के तारतम्य में नगर संभाग पष्चिम के अधीनस्थ सुपेला जोन में प्रभारी कार्यपालक निदेषक संजय पटेल एवं अधीक्षण अभियंता(नगर वृत्त) एस.आर.बांधे के निर्देषानुसार बकायादार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली हेतु दिनांक 15 जनवरी 2020 को एकदिवसीय सघन अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत कार्यपालन अभियंता आर.के.चन्द्राकर एवं उनकी टीम द्वारा की गई कार्यवाही में 58 बकायेदारों से 08 लाख 23 हजार रुपए की वसूली की गई।

बार-बार समझाइस देने के बावजूद बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 34 बकायेदार उपभोक्ताओं की लाइन विच्छेदित कर दी गई।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल उइके का अभिभाषण

रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज छत्तीसगढ़ राज्य के पांचवी विधानसभा के नववर्ष 2020 में आयोजित प्रथम सत्र के अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अल्प समय में अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली से जो गौरवशाली परम्पराएं स्थापित किए हैं, वह इस विधानसभा के इतिहास में सुनहरे पन्ने के रूप में दर्ज हुई हैं। उन्होंने कहा कि आज इस विधानसभा में आने का मेरा पहला अवसर है, जिसकी सुखद अनुभूति मुझे भावुक भी कर रही है और एक नई ऊर्जा से ऊर्जित भी कर रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कीर्ति-पताका को ऊंचा करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि आप सब प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में अपना योगदान पूरे मनोयोग से करें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। राज्यपाल उइके ने कहा कि मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि नये वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यकलापों की शुरूआत एक विशेष अवसर के रूप में हो रही है, जिससे हमें भारत के महान और पावन संविधान के प्रति अगाध निष्ठा, प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। इससे हमें संविधान के प्रति अपने कर्तव्य निभाने का अवसर मिला है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की समय-सीमा बढ़ाये जाने के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसे पूरा करने में आपकी भागीदारी दर्ज होना, निश्चय ही बड़े सौभाग्य का विषय है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU